



कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला प्रकोष्ठ-कोरबा (छ.ग.)

Email:-dwc dokorba@gmail.com

Telephone :- 91110-11691



क्रमांक /256/मबावि/लेखा/2018-19


कोरबा, दिनांक 05/05/2018

“वॉक इन इन्टरव्यू हेतु विज्ञापन”
सखी (वन स्टाप सेंटर) में व्यक्तिगत सेवा प्रदाता के रूप में कार्य
करने हेतु पात्र आवेदको के लिए सूचना

भारत शासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में सखी वन स्टाप सेंटर स्थापना की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में कोरबा जिले में भी संचालित है, सखी वन स्टाप सेंटर में दैनिक कार्यों के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए केन्द्र प्रशासक सेवा प्रदाता नियुक्त किया जाना है। इस हेतु पात्र आवेदको (व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं) से निम्नानुसार उल्लेखित कार्यों/पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दिनांक 25 मई .2018 को वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से चयन कि कार्यवाही की जावेगी । इच्छुक महिला आवेदक निर्धारित दिनांक प्रातः 9:00 बजे से 12 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी कोरबा में अपना पंजीयन कराते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे ।

क्रमांक	सेवा का नाम	जिले में आवश्यक सेवा प्रदाताओं की संख्या	निर्धारित सेवा शुल्क	सेवा प्रदाता हेतु अधिकतम आयु सीमा
01	केन्द्र प्रशासक	01	25000/-	55 वर्ष

- ❖ सखी वन स्टाप सेंटर कोरबा में रिक्त सेवा प्रदाता की जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा से प्राप्त कि जा सकेगी ।
- ❖ आवेदन प्रपत्र तथा सेवा के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अनुभव कार्य दायित्व एवं अन्य विवरण www.korba.gov.in वेब साईट पर उपलब्ध है ।
- ❖ विज्ञापन में दिये प्रारूप अनुसार आवेदन पत्र टंकित कराया जाकर दिनांक 25 मई 2018 को कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास जिला –कोरबा में प्रातः 9:00 बजे से 12 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा कर पंजीकरण की पावती प्राप्त करेंगे ।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला प्रकोष्ठ-कोरबा(छ.ग.)



कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला प्रकोष्ठ-कोरबा (छ.ग.)

Email:-dwc dokorba@gmail.com

Telephone :- 91110-11691



“सखी” वन स्टाप सेंटर हेतु केन्द्र प्रशासक पद (सेवा प्रदाता) के लिए योग्यता, नियम व शर्तें

01. Any woman having a law degree/Masters in Social Work With at least 5 years' experience of working on violence against women issues in an administrative set-up with a Government or Non-Government project/programmed and preferably with at least 1 years' experience of counseling either within or outside the same set-up . She should be a resident of the local community so that local human resource and expertise is utilized for effective functioning of the centre.
02. चयनित सेवा प्रदाता तथा जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कोरबा के मध्य 02 वर्ष के लिए अनुबंध निष्पादित किया जावेगा अनुबंध अवधि में कार्य संतोषजनक पाये जाने, योजना संचालन की निरंतरता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं उपयुक्तता का आकलन कर यह अनुबंध 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा ।
03. सेवा प्रदाता को एक मुश्त सेवा शुल्क देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी । यात्रा पर भेजे जाने की दशा में नियमानुसार वास्तविक व्यय अथवा अनुबंध की शर्तों अनुसार एकमुश्त राशि दी जायेगी ।
04. अनुबंध की अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह के पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का शुल्क जमा कर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है ।
05. आयु की गणना 01 जनवरी 2018 की स्थिति में की जावेगी ।
06. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य की जायेगी। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन जमा करने के अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।
07. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ स्व प्रमाणित/सत्यापित वाछित प्रमाण पत्र एवं अकसूची संलग्न किया जाना होगा ।
08. अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी स्व प्रमाणित /सत्यापित अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा । यदि किसी जाँच में उक्त प्रमाण पत्र दूषित अथवा फर्जी प्रमाणित होने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
09. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
10. वाक इन इन्टरव्यू में भाग लेने वाले सेवा प्रदाता को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नहीं होगा ।
11. निर्धारित तिथि के पूर्व आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।
12. चयन के संबंध में कलेक्टर कोरबा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला प्रकोष्ठ-कोरबा(छ.ग.)

08. अन्य योग्यता का विवरण :-

09. संलग्न किये गये सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची -

संस्था का नाम	पद नाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं ।

10. अनिवार्य संलग्नकों की सूची -

1. जन्म तिथि हेतु 10 वी की अंकसूची/प्रमाण पत्र
2. 12 वी की अंकसूची
3. स्नातक की अंकसूची
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
5. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र

11. अन्य संलग्नकों का विवरण

1.
2.
3.

आवेदिका का हस्ताक्षर एवं नाम

-:घोषणा पत्र:-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

दिनांक

स्थान

आवेदिका के हस्ताक्षर